संदर्भ सं.: पू.क्षे.-1/राँची/जे.सी.पी./ प. ला.पा.ला/ 189

दिनांक: 03.02.2026

सेवा में,

श्रीमान वन प्रमंडल पदाधिकारी
वन प्रमंडल- रामगढ़, झारखण्ड ।
वन प्रमंडल- राँची, झारखण्ड ।
वन प्रमंडल- लातेहार, झारखण्ड ।

विषय :- निर्माणाधीन 400 के.वी. पतरातू - लातेहार पारेषण लाइन से सम्बंधित वन प्रस्ताव पर "भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय" के अंतर्गत वन संरक्षण प्रभाग के पत्रांक शून्य दिनांक 12/01/2026 द्वारा की गई पृच्छओं का अनुपालन प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के आलोक में कहना है कि विषयाधीन पत्र द्वारा की पृच्छाओ का बिंदुवार अनुपालन प्रतिवेदन अनुलग्नक – 1 द्वारा समर्पित किया जा रहा है ।

अतः श्रीमान अवलोकनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

सधन्यवाद ।

संलग्नक: यथोक्त ।

भवदीय,

3.2.26

(एस. के. शशि)
उप महाप्रबन्धक (जे.सी.पी),
पावरग्रिड, रांची ।

अनुलग्नक -1

S.No.	EDS from MoEFCC, New Delhi dated 12.01.2026	Response
1	The instant proposal is for more than 100 Ha. Accordingly, the State Government is requested to submit the Site Inspection Report of the Nodal Officer as per the provisions of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980.	May kindly be replied by Office of Nodal Officer, Ranchi, Jharkhand.
2	As per the Para 10.4 of the Chapter-10 issued under the consolidated Handbook of Guidelines and clarifications issued under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules-2023, it needs clarification whether the user agency has obtained NoC from various linear forest land owned agency. The copies of the same shall be submitted.	NoC for Jungle Jhari Area has been obtained for all 3 Districts. Same are attached and also uploaded in Additional Documents under Part I.
3	Detailed violation report and the action taken by the State Forest Department to stop the work in the forest land needs submission. Further, the State Govt. shall submit the present status of court case/ action taken against the Govt. Official under 3A & 3B of Van Adhiniyam, 1980 indicating details chronology of the events for allowing use of forest land without permission.	May kindly be replied by Office of respective Forest Divisions (Ramgarh, Ranchi & Latehar).
4	The DFO, Ranchi in their Part-II reported that the forest area under Violation as 0.25 ha and period of violation mentioned as 9.5 years and further informed that the वनपाल / वनरक्षी द्वारा माह अगस्त 2025 में ही वन वाद दर्ज किया गया हैं। Therefore, the reason behind such delayed action on the violation needs justification.	May kindly be replied by Office of Ranchi Forest Division.
5	The DFO, Latehar Forest Division in Part-II of the proposal reported that the presence of rare/ endangered/ unique species of flora and fauna found in the area. However, the details in this regard has not mentioned in the proposal. This needs justification.	May kindly be replied by Office of Latehar Forest Division.
6	The recommendation of CF, Daltonganj Circle has not been found uploaded on PARIVESH. The State Government shall upload the recommendation of CF, Daltonganj Circle on PARIVESH.	May kindly be replied by Office of Daltonganj Circle.

3.2.26

एस. के. शशि/S.K. Shashi
उपमहाप्रबंधक/DGM (JCP)
पावरग्रिड/POWER GRID
राँची/Ranchi

<table>
<tr><td rowspan="3">7</td><td>(i) The KML file of Forest land proposed for diversion is found 123.63 ha instead of 126.974 ha as per the proposal. Therefore, correct KML file of the proposed forest land shall be uploaded.</td><td>The KML file for Ramgarh division is showing some missing patches. KML file of Ramgarh division has been uploaded again in Part I. The total area proposed for diversion in 126.974 ha.
<table>
<tr><th>S.No.</th><th>Name of Division</th><th>PF Area (ha)</th><th>Area under JJ (ha)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Ramgarh</td><td>7.647</td><td>4.600</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Ranchi</td><td>39.906</td><td>18.956</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Latehar</td><td>52.704</td><td>3.161</td></tr>
<tr><td colspan="2">TOTAL – 126.974 ha</td><td>100.257</td><td>26.717</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>(ii) It is observed that in the Ramgarh Forest Division, total 29.41 ha degraded forest land have been proposed for CA but the KML file has been uploaded for an area of 13.39 ha. Therefore, complete KML file of the proposed CA land under Ramgarh Forest Division shall be uploaded on PARIVESH.</td><td>May kindly be replied by Office of Ramgarh Forest Division.</td></tr>
<tr><td>(iii) As per the DSS analysis, the proposed CA land is having encroachment of Agriculture land and in one CA patch, the plantation work is already visible. The State shall offer their comments in this regard.</td><td>May kindly be replied by concerned Forest Division.</td></tr>
</table>

3.2.26

एस. के. शशि/S.K. Shashi
उपमहाप्रबंधक/DGM (JCP)
पावरग्रिड/POWER GRID
राँची/Ranchi

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, रामगढ़।

(राजस्व शाखा)

– :: अनापत्ति प्रमाण–पत्र ::–

उपमहाप्रबंधक पॉवर ग्रिड राँची के पत्रांक 109 दिनांक 04.08.2025 के द्वारा 400 KV D/C (Twin) Latehar- Patratu Transmission Line निर्माण हेतु पतरातू अंचल अंतर्गत कुल रकवा 4.599 हे0 गैरमजरूआ खास जंगल–झाड़ी भूमि का अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने का अनुरोध किया गया। उक्त परियोजना हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के पत्रांक–1823/रा0, दिनांक–17.10.2025 के द्वारा अभिलेख अनुशंसा सहित प्राप्त के आलोक में मौजा कटिया, कोतो, डाडीडीह, रोचाप, पालू, उकरीद एवं हफुवा के विभिन्न खाता, प्लॉट अंतर्गत कुल रकवा 4.599 हे0 गैरमजरूआ खास जंगल–झाड़ी भूमि के अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत हेतु भूमि विवरणी निम्नवत है :–

SL	Circle	Mouja	Thana	Khata	Plot	Plot wise Area (Ha/Acre)
						GMJJ land
1	Patratu	Katia	16	95	01	0.025
2		Koto	18	41	01	0.867
					223	0.631
3		Dadidih	19	37	521	1.746
4		Rochap	4	01	754	0.548
5		Palu	5	67	37	0.465
6		Ukrid	6	01	17	0.135
7		Hafua	8	90	692	0.048
					696	0.134
		Total				4.599 Ha.

उपरोक्त भूमि अधिसूचित एवं संरक्षित वन भूमि से बाहर होने से संबंधित अनापत्ति प्रमाण वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के पत्रांक 2151 दिनांक 24.09.2025 से प्राप्त है। उक्त परियोजना के निर्माण हेतु मौजा कटिया, कोतो, डाडीडीह, रोचाप, पालू, उकरीद एवं हफुवा अंतर्गत कुल रकवा 4.599 हे0 गैरमजरूआ खास खाता अंतर्गत किस्म जमीन जंगल–झाड़ी है तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि से बाहर है, के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात् इसके विधिवत् हस्तांतरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैरमजरूआ भूमि के हस्तांतरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा। गैरमजरूआ जंगल–झाड़ी Deemed Forest भूमि के निःशुल्क हस्तांतरण/लीज बंदोबस्ती हेतु राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।

अपर समाहर्ता,
रामगढ़।

उपायुक्त,
रामगढ़।

ज्ञापांक–1782 /रा0, रामगढ़, दिनांक–09 / 10 /2025

प्रतिलिपि :– अंचल अधिकारी, पतरातू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उपमहाप्रबंधक पॉवर ग्रिड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, आयुक्त कार्यालय, हजारीबाग को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ समर्पित।

07/10/2025

अपर समाहर्ता,
रामगढ़।

07/10/25

उपायुक्त,
रामगढ़।

कार्यालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, राँची।

(राजस्व शाखा)

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

Sr. DGM(JCP) Ranchi पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि0 के पत्रांक–1941 दिनांक–01.10.2024 अनुलग्नक सहित Schedule of Forest Jangle Jhari Land for 400 KV D/C Latehar-Patratu Transmission Line in **Anchal-Burmu,** मौजा–हेरिंग, उमेडंडा, कण्डेर, बुढ़मू, लोधमाना, ओझासाड़म, मुत्रा **Anchal-Khalari,** मौजा–दुल्ली, हरहू, कोनका तथा **Anchal-Chanho,** मौजा–चामा एवं रामदगा का NOC निर्गत किये जाने का अधियाचना प्राप्त हुआ है।

उक्त के आलोक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची के पत्रांक–1473 दिनांक–28.05.2025 एवं जिला कल्याण पदाधिकारी, राँची के पत्रांक–2358 दिनांक–11.08.2025 द्वारा जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की दिनांक–04.08.2025 को सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवाही प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है।

बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से 400 KV D/C Latehar-Patratu Transmission Line in **Anchal-Burmu,** मौजा–हेरिंग, उमेडंडा, कण्डेर, बुढ़मू, लोधमाना, ओझासाड़म, मुत्रा **Anchal-Khalari,** मौजा–दुल्ली, हरहू, कोनका तथा **Anchal-Chanho,** मौजा–चामा एवं रामदगा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए गैरमजरूआ जंगल–झाड़ी 12. 313 हेक्टेयर Deemed Forest भूमि के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अपयोजन हेतु राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प सं0–1817/रा0 दिनांक 30.04.2015 निर्गत मार्गदर्शिका शक्ति प्रत्यायोजित के तहत गैरमजरूआ जंगल–झाड़ी भूमि का सैद्धांतिक रूप से अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता है।

भूमि का विवरण निम्वत् है:–

क्र.सं.	अंचल	मौजा	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	किस्म	कुल रकबा (हे0 में)
1	बुड़मु	हेरिंग	35	32	452	G.M.J.J	0.121
2			35	32	433	G.M.J.J	0.210
3			35	32	536	G.M.J.J	-
4		उमेडंडा	43	172	19	G.M.J.J	-
5			43	172	16	G.M.J.J	-
6			43	172	98	G.M.J.J	0.620
7			43	172	213	G.M.J.J	0.053
8			43	172	221	G.M.J.J	0.155
9			43	172	223	G.M.J.J	0.080
10		कण्डेर	28	107	1030	G.M.J.J	0.004
11		बुड़मु	67	234	12	G.M.J.J	0.380
12		लोथमाना	54	73	682	G.M.J.J	0.052
13			54	73	140	G.M.J.J	0.836
14		ओझासाड़म	54	88	1314	G.M.J.J	0.287
15			54	88	1189	G.M.J.J	0.255
16		मुन्ना	52	64	719	G.M.J.J	0.057
17			52	64	718	G.M.J.J	0.052
18			52	64	603	G.M.J.J	0.570
						कुल क्षेत्रफल (हे० में)	**3.732**

A.K. August 2025/70

क्र.सं.	अंचल	ग्राम	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	किस्म	कुल रकबा (हे0 में)
1	चान्हो	चामा	21	102	569	G.M.J.J	-
2			21	102	540	G.M.J.J	-
3		रामदगा	20	04	123	G.M.J.J	0.355
4			20	50	16	G.M.J.J	0.973
5			20	50	4	G.M.J.J	-
6			20	50	279	G.M.J.J	0.480
7			20	50	280	G.M.J.J	0.113
8			20	50	24	G.M.J.J	1.003
						कुल रकबा (हे० में)	**2.924**

क्र.सं.	अंचल	ग्राम	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	किस्म	कुल रकबा (हे० में)
1	खलारी	दुल्ली	10	21	218	G.M.J.J	0.942
2			10	21	169	G.M.J.J	0.310
3			10	21	191	G.M.J.J	0.245
4		हरहु	9	46	431	G.M.J.J	0.372
5			9	46	5	G.M.J.J	0.702
6			9	46	2	G.M.J.J	0.007
7			9	46	3	G.M.J.J	0.101
8			9	46	430	G.M.J.J	0.759
9			9	46	295	G.M.J.J	0.009
10			9	46	324	G.M.J.J	0.500
11			9	46	345	G.M.J.J	0.200
12			9	46	391	G.M.J.J	0.063
13			9	46	397	G.M.J.J	1.448
14		कोनका	8	23	472	G.M.J.J	-
कुल रकबा (हे० में)							**5.657**

उपरोक्त भूमि अधिसूचित वन भूमि संरक्षित वन भूमि के बाहर है, पावर ग्रिड कॉपरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 को 400 के0वी0 डी0सी0 लातेहार–पतरातू पारेशन लाईन हेतु सैद्धांतिक रूप से अनापत्ति प्रमाण–पत्र इस शर्त पर दी जाती है कि:–

1. माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय।
2. पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात् इसके विधिवत् हस्तांतरण हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा गैरमजरूआ भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा।
3. गैरमजरूआ (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तांतरण/लीज बन्दोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।

22/08/2025

उपायुक्त,
राँची

A.K. August 2025/71

ज्ञापांक ....4594 (ii)/रा.... दिनांक 22.08. .... सं0सं0–X-28/2018

प्रतिलिपिः–सचिव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड सरकार को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः–आयुक्त दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल राँची को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः–अनुमंडल पदाधिकारी सदर राँची/वन प्रमंडल पदाधिकारी राँची/जिला कल्याण पदाधिकारी, राँची/उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर राँची/अंचल अधिकारी बुढ़मू, खलारी एवं चान्हों को सूचनार्थ प्रेषित।

22/08/2025

उपायुक्त,
राँची

समाहरणालय, लातेहार

(राजस्व शाखा)

पत्रांक–1967/रा0

प्रेषक,

उपायुक्त,
लातेहार।

सेवा में,

महाप्रबंधक,
पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड,
रांची।

लातेहार, दिनांक–10/09/2025

विषयः– **400 KV D/C लातेहार–पतरातू संचरण लाईन निर्माण में पड़ने वाले गैरमजरूआ जंगल–झाड़ी भूमि का अनापत्ति निर्गत करने के संबंध में।**

प्रसंगः– राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, रांची के संकल्प संख्या–1817, दिनांक–30.04.2015 एवं आपका पत्रांक–120, दिनांक–26.08.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि अंचल अधिकारी, लातेहार एवं अंचल अधिकारी, चंदवा के द्वारा 400 KV D/C लातेहार–पतरातू संचरण लाईन निर्माण में पड़ने वाले गैरमजरूआ जंगल–झाड़ी भूमि का सत्यापनोपरान्त अनापत्ति का प्रस्ताव अनुशंसा सहित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार को उपलब्ध करायी गई है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार के पत्रांक–1001, दिनांक–08.09.2025 के द्वारा 9.834 हे0 गैरमजरूआ जंगल–झाड़ी भूमि का अनापत्ति का प्रस्ताव अनुमोदनोपरान्त समर्पित किया गया है। इनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि योजना के अंतर्गत पड़ने वाली गैरमजरूआ जंगल–झाड़ी भूमि अनाबाद बिहार/झारखण्ड सरकार के खाते की भूमि है, जिसका किस्म जंगल, जंगल–झाड़ी इत्यादि है। प्रस्तावित भूमि अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि से बाहर है। निम्नलिखित गैरमजरूआ जंगल–झाड़ी/डीम्ड फॉरेस्ट (जंगल, जंगल–झाड़ी, सखुआ इत्यादि) भूमि अपयोजन हेतु प्रस्तावित है–

अंचल	मौजा	CS प्लॉट	RS प्लॉट	रकबा (हे0)
चंदवा	बेलगड़ा	482	1080	0.173
चंदवा	बेलगड़ा	399	1078	0.022
चंदवा	बेलगड़ा	392	829, 1231, 835 & 833	1.723
चंदवा	बेलगड़ा	226	476, 452, 451 & 449	0.941
चंदवा	निंद्रा	523	898, 892, 893, 894 & 895	1.190
चंदवा	निंद्रा	545	930	0.347
चंदवा	निंद्रा	547	994	0.147
चंदवा	निंद्रा	515	877, 878, 889, 880, 882 & 881	1.766
चंदवा	निंद्रा	510	872	0.334
चंदवा	काली	465	390	0.011

चंदवा	ढोटी	62	64	0.030
चंदवा	चेटर	1132	1320	0.267
चंदवा	आन	778	1454	0.667
चंदवा	आन	947	1462	0.704
चंदवा	किता	899	1250	1.199
लातेहार	होसीर	173	298	0.313
			कुल	**9.834**

सकल कुल रकबा–9.834 हे0 गैरमजरूआ जंगल–झाड़ी/डीम्ड फॉरेस्ट भूमि के रूप में अंकित भूमि का राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, रांची के संकल्प संख्या–1817, दिनांक–30.04.2015 के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त प्रस्तावित गैरमजरूआ डीम्ड फॉरेस्ट श्रेणी की भूमि के अपयोजन हेतु सैद्धांतिक रूप से कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात् गैरमजरूआ डीम्ड फॉरेस्ट (जंगल, जंगल–झाड़ी, सखुआ इत्यादि) भूमि विधिवत हस्तांतरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैरमजरूआ भूमि के हस्तांतरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जाएगा। गैरमजरूआ जंगल–झाड़ी भूमि के निःशुल्क/सशुल्क हस्तांतरण/लीज बंदोबस्ती हेतु राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, रांची द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जाएगा।

2. गैरमजरूआ डीम्ड फॉरेस्ट (जंगल, जंगल–झाड़ी, सखुआ इत्यादि) भूमि के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र के बाद प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त भूमि के उपयोग की अनुमति तबतक नहीं दी जाएगी जबतक उसके विधिवत हस्तांतरण हेतु राज्यादेश नहीं निर्गत कर दिया जाय।
3. जिस उद्देश्य से भूमि का अनापत्ति दी जा रही है इसका अनुपालन सुनिश्चित की जाय।

विश्वासभाजन

उपायुक्त, लातेहार।

ज्ञापांक–1967/रा0, दिनांक–10/09/2025

प्रतिलिपिः– भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार/अंचल अधिकारी, लातेहार/अंचल अधिकारी, चंदवा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, रांची को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त, लातेहार।